प्रतिवादी के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश होने हेतु नियत दिनांक 15-3-22 को पेश हो।

15-3-22 — पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील वादीगण, प्रतिवादी माधूसिह की मृत्यु दिनांक 27-9-20 को हो चुकी है. उसके पश्चात अब तक वादीगण द्वारा कायम मुकाम बनाने की कोशिश नही की है। हालांकि मृतक प्रतिवादी के विरुद्ध मृत्यु हो जाने से कायम मुकाम के अभाव मे वाद-पत्र खारीज होने योग्य है फिर भी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 92 A व 188 R-T-A का है और प्रतिवादी के वादीगण वारीसान है और भी वारिस हो सकते है. प्रतिवादी रेकार्ड खातेदार है। ऐसी स्थिति मे यह वाद पत्र कायम मुकाम प्रा पत्र के अभाव मे इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा